By Speed/Hand/Website

भा. कृ. अनु. प. –केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
ICAR - Central Arid Zone Research Institute
जोधपुर/Jodhpur (राजस्थान/Rajasthan) 342 003
Website: www.cazri.res.in, Email: director.cazri@icar.gov.in
Phone No. 0291 – 2786584(Dir.)/2786485(CAO)/2785981(AO) FAX: 0291 – 2788706(Dir.)/2786498(PME)

F. No. 17(2) Share Based Contract/Kharif/Mega seed/Hub/2018-19 **Date: 15.05.2018**

संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंग व मोठ की फसलों को हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) पर करवाने हेतु निविदा ।

Tender Invitation for 'Share based Kharif 2018 Seed Production at Field of ICAR-CAZRI, Jodhpur under Mega Seed Project and Seed Hub Project

1. निविदा प्रपत्र उपलब्धता शुरू होने की दिनांक : 15.05.2018
2. निविदा प्रपत्र उपलब्धता की अंतिम दिनांक एवं समय : 01.06.2018 प्रातः 11.00 बजे तक
3. निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय : 01.06.2018 सायं 3.00 बजे तक
4. निविदा खोलने की दिनांक एवं समय : 01.06.2018 सायं 3.30 बजे

नोटः निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी काजरी की वैबसाइट www.cazri.res.in पर भी उपलब्ध है, इच्छुक व्यक्ति/पार्टियां/ठेकेदार/फर्म इसे डाउनलोड कर सकते है अथवा निविदा प्रपत्र संस्थान के सहायक प्रशासकीय अधिकारी – प्रशासन पंचम के कार्यालय से व्यक्तिगत उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है और निविदा जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय से पहले या तक जमा करा सकते है।

प्रेषक–

सहायक प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासन पंचम,
भा. कृ.अनु.प.–केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर 342003 (राजस्थान)

प्रेषित–

मैंसर्स/श्री ....
....

विषयः– संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंग व मोठ की फसलों को हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) पर करवाने हेतु निविदा।

महोदय,

निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर की और से इच्छुक व्यक्ति/पार्टियों/ठेकेदारों/फर्मों से संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंग व मोठ की फसलों को हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) पर करवाने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। अन्य जानकारी और नियम व शर्तें परिशिष्ठ–1 में संलग्न है।

निविदा इस कार्यालय में देय तिथि या उससे पहले दिनाँक 01.06.2018 को सायं 3.00 बजे तक कूरियर/पंजीकृत /त्वरित डाक से सीलबंद कवर में पहुँच जानी चाहिए। नियत दिनाँक एवं समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार में नहीं किया जाएगा।

निविदा नियत दिनाँक व समय 01.06.2018 को सायं 3.30 बजे कमेटी द्वारा खोली जाएगी।

भवदीय

सहायक प्रशासकीय अधिकारी
वास्ते निदेशक

संलग्नः उपरोक्तनुसार [Annexure-I (अ से य तक) व Annexure-II]

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

Annexure-I

तकनिकी बिड

(प्रपत्र– अ)

<u>व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार का विवरण</u>

1. निविदादाता व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी के प्रोप्राईटर का नाम : ....

2. निविदादाता व्यक्ति / ठेकदेार / फर्म / एजेन्सी का नाम व पता :

   मैसर्स ....

   ....

   ....

3. (अ) टेलीफोन नं. कार्यालयः .... निवासः .... माबेाइल नं. ....
   (ब) ई–मेल पता : ....

4. व्यक्ति / ठेकेदार / फर्म / एजेन्सी का विवरण : ....
   (साझेदारी डीड / संविधान यदि सोसाइटी है तो)

5. आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन (PAN) नम्बर (यदि हो) : ....

6. जी.एस.टी. / सर्विस टैक्स नम्बर (यदि हो अनिवार्य नही) : ....
   ....

7. नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र / फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रतिः ....
   ....
   ....

8. व्यक्ति / फर्म / ठेकेदार के बैंक का नाम व पता : ....
   बैंक का आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड नम्बर :... बैंक खाता नम्बर : ....
   (सही सूचना के लिए चैक की छाया प्रति संलग्न करें)

9. धरोहर राशि (Bid security)–रू. 1,000 / – ICAR Unit-CAZRI, Jodhpur के पक्ष में देय हो। डी.डी. / बैंकर चैक नं. .... दिनांक ....बैंक का नाम .... प्रस्तुत करें ।

10. निविदा प्रपत्र को बिना कॉट–छॉट के साफ–सुथरा भर कर मोहर (यदि फर्म हो) सहित हस्ताक्षर कर स्वयं / अधिकृत प्रतिनिधि / पंजीकृत डाक / त्वरित डाक / कोरियर डाक द्वारा देय तिथि 01.06.2018 को सायं 3.00 बजे से तक निदेशक, केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंघान संस्थान, जोधपुर के नाम प्रशासन खण्ड–पंचम् के टेण्डर बॉक्स में डलवायें। लिफाफे पर **<u>हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract)</u>** लिखा होना चाहिए अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

11. विस्तृत जानकारी हेतु देंखें काजरी वबेसाइटः www.cazri.res.in

Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–ब)

काजरी संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंग व मोठ की फसलों को हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) की नियम व शर्तें

1. **निविदा प्रस्तुति** : निविदादाता को निविदा वांछित दस्तावजों तथा बिड प्रपत्रों को भर कर व प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर कर मूल प्रति सहित डालकर उसे बन्द करना होगा। फिर लिफाफे को निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि को निर्धारित समय तक या उससे पहले **काजरी के प्रशासन खण्ड–पंचम्** के टेण्डर बॉक्स में स्वयं उपस्थित होकर सहायक प्रशासकीय अधिकारी की जानकारी में लाकर डालने होंगे या डाक द्वारा **'सहायक प्रशासकीय अधिकारी प्रशासन पंचम, काजरी, जोधपुर',** को प्रेषित करना होगा। निविदा खोलने की तिथि को निर्धारित समय पर समिति के समक्ष लिफाफे खोलें जायेगें।
2. निविदा की बिड के साथ उल्लेखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदादाता फर्म/एजेन्सी/कम्पनी का अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि/स्वयं उपस्थित होकर संबंधित फार्म का जायजा कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं।
4. निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अंकित किये जाने वाले नाम व पते की पुष्टि हेतु साक्ष्य के रूप में फोटो पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, आधार कार्ड, अथवा अन्य सरकारी मान्य पहचान पत्र फोटोयुक्त दस्तावेज की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदा भरते समय व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म अपना नाम पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर (यदि हो तो) अवश्य लिखें।
6. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
7. काजरी, संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंगबीन व मोठबीन की फसलों को हिस्सा आधारित खेती के उत्पादन हेतु अनुबन्ध के लिये फसलों का विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र.सं.	फसल	क्षेत्रफल (है.)	विशेष विवरण
1.	मूंग	10 हेक्टर	मूंग तथा मोठ की बुवाई काजरी के द्वारा की जायेगी तथा उसके बाद की समस्त क्रियाए फर्म/प्रार्टी/ठेकेदारों द्वारा की जायेगी जिसमें विभिन्न प्रकार की खेती संबंधित क्रियाए जैसे निराई–गुड़ाई, कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव, देख रेख, फसल की कटाई, थ्रेसिंग व बीज को भण्डारण करना इत्यादि सभी कार्य अनुबन्धकर्ता द्वारा किये जायेगें तथा जिसके लिये ट्रैक्टर, स्प्रेयर, कीटनाशक दवाईया व थ्रेसर इत्यादि काजरी संस्थान् द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें। निविदा बोली के अनुसार बीज व चारा के मामले में हिस्से का प्रतिशत तय किया जायेगा और साथ ही ठेकेदार/प्रार्टी को हिस्से में प्राप्त बीज व चारा काजरी संस्थान् द्वारा रखा जा सकता है जिसकी राशि का भुगतान मण्डी/बाजार में प्रचलित दर पर समिति द्वारा निर्धारण करके किया जायेगा।
2.	मोठ	10 हेक्टर	

<u>नोट</u>: अनुबंध कार्य संस्थान को बीज/दाने व चारा में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्त्ता को दिया जावेगा।

8. अनुबन्ध की अवधि खरीफ फसल 2018–19 तक रहेगी। यदि उक्त अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता द्वारा किसी प्रकार का व्यवधान या कार्य असंतोषजनक रहा तो अनुबन्ध निश्चित समय अवधि से पूर्व जमानत

राशि (Performance Security) जब्त कर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।

9. निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें (जो कि प्रपत्र सूचि में दर्शाया गया है)। निविदा संस्थान के निदेशक महोदय के नाम सहायक प्रशासकीय अधिकारी कार्यालय में दिनांक 01.06.2018 तक समय सायं 3.00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करनी है। सशर्त, ई–मेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं कि जावेगी। अनुबंधकर्त्ता के पास पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइवर लाइसेन्स/अन्य सरकारी पहचान पत्र की फोटोप्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, संलग्न नहीं करने पर निविदा को स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। निविदाएँ उसी दिन दोपहर बाद सायं 3.30 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी।
10. निविदादाता को रु. 1000.00 (एक हजार मात्र) रूपये मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ICAR Unit, CAZRI, Jodhpur के नाम से देय हो अमानत राशि के रूप मे प्राप्त की जावेगी। बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदादाता को कार्य आदेश से पूर्व नियमानुसार जमानत राशि (Performance Security) जमा करानी होगी, जिसका निर्धारण फसल, फसल क्षेत्रफल एवं अनुमानित उत्पादन में हिस्से के आधार पर किया जायेगा, उसके उपरान्त ही कार्यादेश जारी करके धरोहर राशि (Bid Security) लौटाई जायेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व अधिकतम मात्रा/हिस्सा ही स्वीकार किया जायेगा यदि आवश्यक हुआ तो हिस्से के बारे में आपसी–बातचीत भी की जा सकती है।
12. उपरोक्त फसलों की बुवाई, काजरी संस्थान् द्वारा की जायेगी तथा बाद के सभी कार्य जैसे निराई–गुड़ाई, कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव, देख रेख, फसल की कटाई, थ्रेसिंग व बीज को भण्डारण करना इत्यादि सभी कार्य अनुबन्धकर्ता द्वारा किये जायेगें, (जिसके लिये किसी भी प्रकार की कीमत/मजदूरी संस्थान द्वारा नही दी जायेगी) लगने वाली मजदूरी अनुबंधकर्ता को ही वहन करनी होगी। जिसके लिये ट्रैक्टर, स्प्रेयर, कीटनाशक दवाईया व थ्रेसर इत्यादि काजरी संस्थान् द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें।
13. दाना/बीज, भूसे/चारे उपज का बंटवारा सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति के द्वारा किया जाएगा। संस्थान के हिस्से में आने वाले दाने व चारे को प्रभारी प्रक्षेत्र अनुभाग या उनके प्रतिनिधियों द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर डालना होगा। भूसा उठाने के लिए वाहन संस्थान का होगा व श्रमिक की व्यवस्था अनुबन्धकर्ता को करनी होगी ताकी भूसा/चारा केन्द्र के इच्छित स्थान पर परिवहन किया जा सके।
14. फार्म में करवाए जाने वाले कृषि एवं कार्य की मात्रा में कमी/बढोतरी की जा सकती हैं।
15. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा। श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार रखना होगा जिसे सम्बन्धित प्रभारी से प्रत्येक माह प्रमाणित करवाना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा मांगी जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
16. ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी को अपने श्रमिकों को भारत सरकार/राज्य सरकार के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी इनमें से जो भी अधिक हो, देनी होगी । सभी श्रमिक कानून व नियमों जैसे–ESI/EPF/Service Tax/GST etc. यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो इनका पूर्ण रूप से पालन करना होगा वह इसका समुचित रिकार्ड रखेगा/रखेगी तथा साक्ष्य के तौर पर मासिक बिल के सलंग्न रसीद की फोटो प्रतिलिपि देनी अनिवार्य होगी। सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये सभी अनुदेषों/श्रम कानूनों इत्यादि का पूर्ण अनुसरण/निर्वाह करना होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, श्रमिक कानूनों, नियमों ,अनुदेशों व समय–समय पर सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों इत्यादि की ठेकेदार द्वारा पालना न करने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी ।

17. C.L. (R&A) एक्ट 1970 सेक्सन 12 (1)की वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप ठेकेदार को इस संस्थान में 20 या अधिक श्रमिक नियुक्त करने के लिए वैध लाइसेन्स श्रम कार्यालय से प्राप्त करना होगा और उसकी एक प्रतिलिपि इस संस्थान के कार्यालय में जमा करानी होगी। यदि ये प्रावधान उनके संदर्भ में लागू हो तो।
18. श्रमिको को श्रम कानूनों के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सुविधाए ठेकेदार द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान करना अनिवार्य होगा।
19. ठेकेदार को ठेका कार्य के दौरान मजदूरो को आधारभूत सुविधाएँ ठेका कार्य स्थल पर उपलब्ध करानी होगी जैसे पीने का पानी, छाया इत्यादि।
20. आयकर या अन्य कोई कर इत्यादि की कटौती सरकारी आदेशानुसार एवं नियमानुसार फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल में से की जाएगी।
21. परिषद्/संस्थान और श्रमिकों के बीच कोई संबंध नहीं होगा। वे केवल श्रमिक/ठेकेदार/फर्म के संविदा श्रमिक होंगे ।
22. काजरी परिसर में जंगली जानवरों, पशु–पक्षियों को नुकसान पहुॅचाना या इनका शिकार करना वर्जित है। ऐसा करने वाले उस संविदा मजदूर तथा संबंधित ठेकेदार के विरूद्व आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।
23. उपरोक्त सभी कार्यों की पूर्णता तभी मान्य होगी जब प्रभारी प्रक्षेत्र/फार्म अधीक्षक या उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य सन्तोषजनक पूर्ण करना प्रमाणित किया जायेगा, उसके बाद ही हिस्से का बंटवारा किया जायेगा। यदि कार्य दिये गये मापदण्डों के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया तो किये गये कार्य की मात्रा के अनुसार हिस्से का बंटवारा किया जावेगा।
24. किसी भी कार्य को अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या सन्तोषजनक नहीं होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा कराई गई जमानत राशि (Performance Security) को जब्त कर ली जायेगी एवं अनुबन्ध को निरस्त कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी एवं भविष्य में संस्थान में किसी भी प्रकार के अनुबन्धों से बाहर कर दिया जाएगा ।
25. फसल की बुवाई से कटाई/बंटवारे तक सुरक्षा की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
26. अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
27. ठेकेदार/फर्म की जिम्मेदारी होगी कि उसके मजदूर सरकारी सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान न पहुॅचाए। होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति/भरपाई ठेकेदार को करनी होगी ।
28. फार्म/प्रोजेक्ट क्षेत्र में चल रहे अनुसन्धान, फसल इत्यादि की बाहरी जंगली जानवरों से रक्षा हेतु व्यवस्था करनी होगी।
29. ईन्चार्ज द्वारा बताये गये सभी निर्देशानुसार (मोखिक या लिखित) समय पर पूर्ण करने होगें जिससे कि फसल उपज पर प्रतिकूल प्रभाव नही पड़े।
30. अनुसंधान क्षेत्र/प्रोजेक्ट क्षेत्र के भीतर कोई भी आदमी या जानवर बिना अनुमति के नहीं आना चाहिए एवं फेंसिंग/अनुसंधान सामग्री को कोई क्षति/नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्षति/नुकसान होता है तो उसका खर्च ठेकेदार से वसूल किया जाएगा ।
31. कार्यावधि में ठेकेदार के किसी श्रमिक/मजदूर इत्यादि को सॉप, बिच्छु या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
32. अनुबंध के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर प्रतिदिन के हिसाब से नुकसान की भरपाई के लिये 100/– रुपये प्रतिदिन या परिस्थिति अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
33. अनुबन्धकर्ता/प्रतिनिधि द्वारा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई अथवा संस्थान की संम्पति को कोई नुकसान/चोरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी पूर्ति स्वयं अनुबन्धकर्ता को करनी होगी अन्यथा अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि (Performance Security) जब्त कर ली जावेगी।
34. विविध कारणों से फसलों का उत्पादन एवं अन्य कार्य प्रभावित होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदरी नहीं होगी तथा संस्थान द्वारा किसी प्रकार का हर्जाना, क्षतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
35. कृषि से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी फार्म अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा–निर्देशानुसार करना होगा।
36. अवांछित पौधों को निर्देशानुसार निकालने का कार्य निविदाकर्ता को करना होगा।

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

37. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं अनुबन्धकर्ता को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण अनुबन्धकर्ता स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
38. अनुबन्धकर्ता द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि (Performance Security) अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
39. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख अनुबन्धकर्ता को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
40. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार जोधपुर होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, (राजस्थान) को होगा, जो अनुबन्धकर्ता/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।
41. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (हिस्सा पद्धति के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि का हिस्सा पद्धति कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
42. सफल अनुबन्धकर्ता को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
43. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
44. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cazri.res.in पर उपलब्ध है।

Signature with seal of the firm/representative of the firm

<u>तकनीकी बिड</u>

(प्रपत्र–स)

<u>निविदादाता ठेकादार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा घोषणा</u>

1. I,____son/ daughter/ wife of Shri ____ Proprietor/ Director/ authorized signatory of the Company/Firm mentioned above, is competent to sign this declaration and execute this tender document.
2. I have carefully read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide to them.
3. The information/documents furnished along with the above tender form are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I am well aware of the fact that furnishing of any false information/fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

Signature & Name of the authorized

Signatory with Seal of the Firm

Place:

Date:

<u>तकनीकी बिड</u>

(प्रपत्र–द)

<u>FOR THE USE BY TENDER OPENING COMMITTEE ONLY</u>

Name of the Firm: ____

1. Earnest money deposited/not deposited/is/not in acceptable form.
2. There are no changes, corrections, additions and overwriting etc. in the General Terms and Conditions put to tender.
3. There are _____________________________ corrections and overwriting in the rates which have been quoted in figure/words numbered from_________________________ to ______________________ figure/words.
4. The tender is conditional/ unconditional. Please refer covering letter/notes on page ______ there are ______ conditions.
5. The rates have not been quoted against item No. ________________.
6. There is ambiguity in the rates quoted in figure and words against item No. ___________.
7. Rates have been quoted in figures/words only.

(Tender Opening Committee)

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

तकनीकी बिड

(प्रपत्र–य)

CHECKLIST OF DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH TENDER DOCUMENT FAILING WHICH THE BID WILL BE LIABLE TO BE REJECTED:

S. No.	Documents to be submitted	Whether Submitted or not	If submitted than mentioned page No.	Remarks
1.	Details of EMD deposited Rs. 1,000/-			
2.	Copy of PAN/Aadhar Card/Voter ID/any other authentic ID			
3.	Proof of experience (if any)			

Authorized Signatory

Full Name of Bidder with Address & Date

 Signature with seal of the firm/representative of the firm

ANNEXURE-II

वित्तीय निविदा
(Financial Bid)

सेवा में,
निदेशक, काजरी, जोधपुर।

महोदय,

संस्थान के फार्म पर खरीफ ऋतु 2018 में मूंगबीन व मोठबीन की फसलों को हिस्सा आधारित खेती अनुबंध (Share based contract) पर करवाने हेतु निविदा आंमंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित विभिन्न फसलों हमारे द्वारा अग्रांकित हिस्से प्रस्तुत किये जाते हैं:

क्र.सं.	फसल	क्षेत्रफल (है.)	अनुबन्धकर्ता का बीज/दाने व भूसे/चारे में हिस्सा प्रतिशत	संस्थान का बीज/दाने व भूसे/चारे में हिस्सा प्रतिशत	विशेष विवरण
1.	मूंग	10 हेक्टर	....	....	मूंग तथा मोठ की बुवाई काजरी के द्वारा की जायेगी तथा उसके बाद की समस्त क्रियाए फर्म/प्रार्टी/ठेकेदारों द्वारा की जायेगी जिसमें विभिन्न प्रकार की खेती संबंधित क्रियाए जैसे निराई–गुड़ाई, कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव, देख रेख, फसल की कटाई, थ्रेसिंग व बीज को भण्डारण करना इत्यादि सभी कार्य अनुबन्धकर्ता द्वारा किये जायेगें तथा जिसके लिये ट्रैक्टर, स्प्रेयर व थ्रेसर इत्यादि काजरी संस्थान् द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें। निविदा बोली के अनुसार बीज व चारा के मामले में हिस्से का प्रतिशत तय किया जायेगा और साथ ही ठेकेदार/प्रार्टी को हिस्से में प्राप्त बीज व चारा काजरी संस्थान् द्वारा रखा जा सकता है जिसकी राशि का भुगतान मण्डी/बाजार में प्रचलित दर पर समिति द्वारा निर्धारण करके किया जायेगा।
2.	मोठ	10 हेक्टर	....	....	

नोट: अनुबंध कार्य संस्थान को बीज/दाने व चारा में अधिकतम हिस्सा देने वाले अनुबंधकर्त्ता को दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मोहर सहित

मैसर्स ....

....

दिनांक: ....

स्थान : ....

Signature with seal of the firm/representative of the firm